E-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
संचिका सं0–03/भू0अ0नि0 (7) अपील–10/2024..........................

आदेश

निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा पारित आदेश सं0–670 दिनांक–06.02.2024 के विरूद्ध अपीलार्थी श्री चंदन कुमार, (Emp. ID No.- AEN04185), संविदा समाप्त पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन, बन्दोबस्त कार्यालय, किशनगंज द्वारा "बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम–8(4)" में वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील दायर किया गया है।

निर्धारित तिथि एवं समय पर अपील की सुनवाई की गयी।

उभय पक्ष उपस्थित।

अपीलार्थी का वाद संक्षिप्त रूप में निम्नवत है:–

जिला पदाधिकारी, अरवल द्वारा दिनांक–06.01.2024 को अरवल जिला अंतर्गत–करपी, शिविर–3 एवं दिनांक–08.01.2024 को अरवल, शिविर–03 का निरीक्षण किया गया, जिसमें अनेकों अनियमितता पायी गयी। जिलाधिकारी द्वारा पायी गयी उक्त त्रुटियों/जाँच परिणाम के संबंध में दिनांक–09.01.2024 को बन्दोबस्त कार्यों की समीक्षा बैठक निर्धारित की गयी। समीक्षात्मक बैठक में वरीय पदाधिकारी द्वारा सर्वेक्षण कर्मियों को भाग लेने से मना किया गया। निरीक्षण में पाये गये अनियमितता एवं अनुशासनहीनता के संदर्भ में जिला पदाधिकारी, अरवल के पत्र संख्या–129/गो0 दिनांक–10.01.2024 द्वारा श्री कुमार से 24 घंटे के अंदर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया।

इसी क्रम में बन्दोबस्त कार्यालय के Unhealthy Work Environment के सृजन से संदर्भित मामलें की समीक्षा दिनांक–11.01.2024 को जिला पदाधिकारी, अरवल के कार्यालय कक्ष में कुल 14 कर्मियों के साथ की गयी। विशेष सर्वेक्षण कमियों से हुई वार्त्ता के दौरान श्री चंदन कुमार, (Emp. ID No.- AEN04185) के विरूद्ध खानापुरी/याद्दाश्त निर्माण के दौरान रैयतों से पैसा की वसूली करने एवं शिविर में पदस्थापित कर्मियों से अवैध वसूली का आरोप है। कर्मियों से हुई वार्त्ता तथा स्थल जाँच के बाद जिला पदाधिकारी, अरवल ने अपने पत्रांक–212/गो0 दिनांक–15.01.2024 द्वारा श्री चंदन कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन को चयन मुक्त करने की अनुशंसा की है।

उक्त अनुशंसा के आलोक में श्री कुमार से निदेशालय द्वारा दिनांक 19.01.2024 को स्पष्टीकरण की मांग की गयी है।

स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने के कारण जिला पदाधिकारी, अरवल से प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा, निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि जिला पदाधिकारी द्वारा अपीलार्थी पर लगे आरोपों की स्वयं जाँच की गयी है। जाँच में रैयतों से पैसे की वसूली के साथ–साथ सर्वेक्षण कर्मियों से अवैध राशि की उगाही का दोषी पाया गया है। जिलाधिकारी द्वारा लगाये गये स्वेछाचारिता, अनुशासनहीनता, अनियमितता एवं भ्रष्टाचार संबंधी प्रमाणिक आरोप के आलोक में निदेशालय आदेश ज्ञापांक–670 दिनांक–06.02.2024 द्वारा इनका संविदा नियोजन समाप्त किया गया है।

अपीलार्थी का कथन है कि दिनांक–06.01.2024 को शिविर कार्यालय से अनुपस्थित पाये जाने के कारण जिला पदाधिकारी, अरवल के पत्र संख्या–129/गो0 दिनांक–10.01.2024 द्वारा 24 घंटे के अंदर स्वयं उपस्थित होकर स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु पत्र निर्गत किया गया था, जिसका मैंने ससमय उत्तर दिया था। मेरे स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए जिला पदाधिकारी, अरवल के पत्रांक–418 दिनांक–30.01.2024 द्वारा स्पष्टीकरण से मुक्त भी किया गया है। मैं अपने कार्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी एवं निष्ठा से किया हूँ।

दाखिल अपील एवं संलग्न साक्ष्यों का विवेचना किया गया। विवेचनोपरान्त पाया गया कि जिला पदाधिकारी, अरवल के पत्रांक–129/गो0 दिनांक–10.01.2024 द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण जो शिविर कार्यालय से उपस्थित रहने के संबंध में है, अन्य कर्मियों के साथ कड़ी चेतावनी देते हुए स्पष्टीकरण से मुक्त किया गया है।

Unhealthy Work Environment के सृजन से संदर्भित मामलें की समीक्षा के क्रम में श्री कुमार के विरूद्ध खानापुरी/याद्दाश्त निर्माण के दौरान रैयतों से पैसा की वसूली करने एवं शिविर में पदस्थापित कर्मियों से अवैध वसूली का आरोप में कोई विमुक्ति जिला पदाधिकारी, अरवल द्वारा प्रदान नहीं की गयी है।

अभिलेख के अवलोकन, अपीलार्थी के कथन तथा अभिलेख में रक्षित साक्ष्यों के अवलोकन तथा उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो इन पर लगे आरोपों को खंडित करता हो। सर्वेक्षण जैसे महत्त्वपूर्ण कार्य में आम रैयतों से पैसा की वसूली किया जाना सरकारी कार्य की विश्वसनीयता को धुमिल करता है, इस प्रकार के कृत्य का प्रभाव अन्य कर्मियों पर न पड़े इसको दृष्टिगत रखते हुए इन्हें सेवा में बनाये रखना उचित नही है। निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा पत्रांक–670 दिनांक–06.02.2024 को पारित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है।

अतः श्री चंदन कुमार, (Emp. ID No.- AEN04185), संविदा समाप्त पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन, बन्दोबस्त कार्यालय, किशनगंज द्वारा दायर अपील को अस्वीकृत किया जाता है।

ह0/–
अपर मुख्य सचिव–सह–
अपीलीय प्राधिकार

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

E-Mail

ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0 (7) अपील–10/2024...13572...**पटना, दिनांक :–**03/09/2024

प्रतिलिपिः– श्री चंदन कुमार, (Emp. ID No.- AEN04185), संविदा समाप्त पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन, बन्दोबस्त कार्यालय, किशनगंज, Email ID- kumarchandanpsc007@gmail.com को सूचनार्थ प्रेषित।

03.09.24
उप निदेशक–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
भू–अभिलेख एवं परिमाप
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0 (7) अपील–10/2024...13572...**पटना, दिनांक :–**03/09/2024

प्रतिलिपिः– बन्दोबस्त पदाधिकारी, अरवल, किशनगंज/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), अरवल, किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

03.09.24
उप निदेशक–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03 / भू0अ0नि0 (7) अपील–10 / 2024....13572....**पटना, दिनांक :–**....03/09/2024

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

03.09.24
उप निदेशक–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03 / भू0अ0नि0 (7) अपील–10 / 2024....13572....**पटना, दिनांक :–**....03/09/2024

प्रतिलिपिः– निदेशक कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

03.09.24
उप निदेशक–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03 / भू0अ0नि0 (7) अपील–10 / 2024....13572....**पटना, दिनांक :–**....03/09/2024

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

03.09.24
उप निदेशक–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03 / भू0अ0नि0 (7) अपील–10 / 2024....13572....**पटना, दिनांक :–**....03/09/2024

प्रतिलिपिः– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

03.09.24
उप निदेशक–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
भू–अभिलेख एवं परिमाप